भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां (सोनीपत)

खुली नीलामी सुचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के कुछ रद्दी समान जेसे लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, फाइबर, पंखे, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक समान आदि की खुली बोली दिनांक 25/02/2025 को सुबह 11.00 बजे विश्वविद्यालय के प्रांगण में की जाएगी। नीलामी की नियम व शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bpswomenuniversity.ac.in पर देखी जा सकती हैं ।

कुलसचिव

नीलामी के नियम व शर्तें

1. नीलामी जैसा सामान है, जहां है के आधार पर होगी।
2. नीलामी में भाग लेने हेतु बोली दाता को Rs. 10000/- (दस हजार रूपए) मात्र धरोहर राशि के रूप में बोली आरम्भ होने से पहले नगद जमा करवानी होगी। यह राशि बोली समाप्त होने पर असफल बोली दाताओं को उसी समय वापस कर दी जायेगी।
3. सबसे उच्च बोली लगाने वाली फर्म/व्यक्ति के नाम नीलामी छोडी जायेगी तथा सफल
4. बोली.दात्ता को तीन दिन के अन्दर नीलामी की पूरी धनराशि जमा करवाकर सम्पूर्ण सामान उठाना होगा। यदि बोलीदाता निर्धारित अवधि के अन्दर नीलामी की सामग्री का उठान नहीं करता तो उसकी अग्रिम धरोहर / सुरक्षा राषि जब्त कर ली जायेगी तथा नीलामी निरस्त कर दी जायेंगी व बोली दाता के विरूद्व उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
4. बोली किए जाने वाले सामान का निरक्षण किसी भी कार्य दिवस पर 10.00 बजे से 4.00 बजे तक किया जा सकता है।
5. केवल उन्हीं व्यक्तियों को बोली में शामिल किया जायेगा जिनके पास प्रमाणित फोटोयुक्त पहचान-पत्र (जैसे-पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स), आधार कार्ड आदि होगा।
6. किसी भी प्रकार का टैक्स खर्च या उठान खर्च सफल बोलीदाता को स्वयं वहन करना होगा।
7. बोलीदाता अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उत्तरता है, तो उसे हमेशा के लिये काली सूची में डाल दिया जायेगा।

8. नीलामी की कोई अन्य शर्त होगी तो उसे बोली स्थल पर ही सुनाया / बताया जायेगा।

9. कुलसचिव को किसी भी नीलामी को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार होगा।

10. सभी प्रकार के विवादों का निपटान का क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालय का होगा।

11. यदि किसी कारणवंश नीलामी के दिन अवकाश घोषित हो जाता है तो नीलामी अगले दिन होगी।

12. बिना कारण बताए बोली रदद करने का एकाधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा।

सम्पर्क सूत्र-01263-282338

कुलसचिव